आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कोलोनेस शिविर गोलिया जैतमाल पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। साक्ष्य हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है पत्रावली दिनांक 18/2/22 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

18/2/22

पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इलतवा होकर पत्रावली आइन्दा 8/4/22 को पेश हो।

12/03/22 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच न्यायालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुड़ामालानी में राजीनामा हेतु पेश हुई समस्त पक्षकारान के उपस्थित नहीं होने के प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अध्यक्ष
लोक अदालत
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुड़ामालानी (बाड़मेर)

8/4/22

पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इलतवा होकर पत्रावली आइन्दा 23/5/22 को पेश हो।

23/05/22 पत्रावली आज पेश हुई [illegible] पक्षकारान अनुपस्थित। पक्षकारान की मय [illegible] बुलाये गये बावजूद [illegible] [illegible] रखने के इच्छुक [illegible] पक्षकारान के अनुपस्थित है अतः पैरवी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय तामिल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:27 IST
Reason: SelfAttested

Court
TD
12/02/19

"श्री"

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलक्टर (S.D.O.) महोदय,
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

वादीगण :–

1. जालाराम वल्द टीकमाराम उम्र 63 वर्ष
2. शेराराम वल्द टीकमाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी हुकमोणी खोथो की ढाणी ग्राम पंचायत मालपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
3. लाखाराम वल्द टीकमाराम उम्र 58 वर्ष जाति जाट निवासी गुरूओं का तला ग्राम पंचायत अणखिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
4. देदाराम वल्द टीकमाराम उम्र 42 वर्ष जाति जाट निवासी हुकमोणी खोथो की ढाणी ग्राम पंचायत मालपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. टीकमाराम वल्द डूंगरा उम्र 83 वर्ष जाति जाट निवासी हुकमोणी खोथो की ढाणी ग्राम पंचायत मालपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. तहसीलदार गुड़ामालानी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवम् धारा 6 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम वास्ते पाने घोषणा

महोदय,

वादीगण का वाद निम्नानुसार हैं :–

1. कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही खानदान से संबंध रखते है वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के नायन्दा संतान है, मुतवली डूंगरा के वंशज है, डूंगरा का ... से शासित होते है। वंश वृक्ष टीकमा पुत्र एवं उत्तराधिकारी है, ... निम्नानुसार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:27 IST
Reason: SelfAttested

शेराराम
(अधिवक्ता वादीगण)
जालाराम
लाखाराम

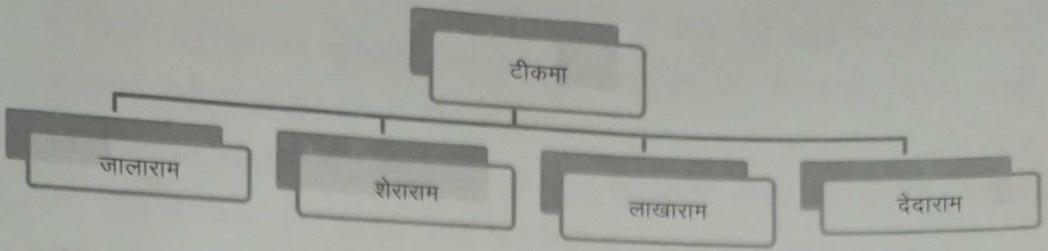

2. कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि पटवार मण्डल नौखड़ा मौजा गुरूओं का तला के खेत खसरा नम्बर 624 रकबा 11 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 625 रकबा 03 बिस्वा किस्म किस्म गैर मुमकिन व खसरा नम्बर 626 रकबा 72 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व पटवार मण्डल मालपुरा के ग्राम हुकमोणी खोथो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 293 रकबा 92 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 293/2 रकबा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व ग्राम भीलों का गोल के खेत खसरा नम्बर 346 रकबा 72 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम का संयुक्त खातेदारी का खेत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का आया हुआ है। इसमें वादीगण प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा एवम् प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा है। नकल खतौनी व नक्शा संलग्न है।

3. कि वादग्रस्त आराजी हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति है भू–प्रबन्ध वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 टीकमा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। इस आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काश्त करते है, वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर हिस्से का अधिकार पैदा हो चुका है तथा धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इस आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सहदायिकी है तथा समस्त सहदायिकों का बराबर हिस्सा है, इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का इस आराजी में बराबर हिस्सा 1/5–1/5 खातेदारी का है, जिसको घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है।

4. कि वादीगण अपने–अपने 1/5–1/5 हिस्से की भूमि पर काबिज है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार हिन्दू पुरूष के पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री एवम् प्रपौत्र –प्रपौत्री का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसलिये इस आराजी में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर हिस्से का सहखातेदार है व इसी अनुसार सहखातेदार घोषित किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:27 IST
Reason: SelfAttested

5. कि बिनायदावा जब वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण का अपने हिस्से में नाम दर्ज करवाने में टालमटोल किया तो वादीगण को यह वाद न्यायालय के समक्ष लाना लाजमी हो गया है।